<u>कोर्ट केस</u>

<u>संख्या- 61/2015/डब्लू-39/एक-6-2015-142(39)/2015</u>

प्रेषक,

राम नारायण,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 30 जुलाई , 2015**

विषय: सिविल मिस रिट पिटीशन नोटिस संख्या-4670/15 (एस/एस) राम सेवक बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के पत्र संख्या-ए-11278/सिविल 2015 दिनांक 23-07-2015 का संदर्भ ग्रहण करे, जो कि प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को सम्बोधित एवं आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ व अन्य को पृष्ठांकित करते करते हुए प्रतिशपथ पृष्ठांकित करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु किसी भिज्ञा अधिकारी को संगत अभिलेखों सहित मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत मामले में निर्देशानुसार तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(राम नारायण)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in